

न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-159 / 2012

संस्थित दिनांक-13.03.2012

फाई. क्र.234503000802012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, बिरसा
 जिला बालाघाट(म.प्र.)

— — — — **अभियोजन**// **विरुद्ध** //

विपिन सिंह पिता प्रताप नारायणसिंह राजपूत, उम्र-45 वर्ष,
 निवासी पहाड़पुर, थाना हवेली खड़कपुर जिला मुंगेर (बिहार)
 हाल मुकाम बंजारीटोला थाना मलाजखंड जिला बालाघाट।

— — — — **आरोपी**// **निर्णय** //**(आज दिनांक 13 / 03 / 2018 को घोषित)**

01— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 429 (काउन्टस-02) का आरोप है कि उसने घटना दिनांक 17.12.2011 को प्रातः 04:30 बजे ग्राम कचनारी मेन रोड दारा की दुकान के सामने पुलिस चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन कंटेनर क्रमांक सी.जी.04.जे. 9959 को तेजी व लापरवाही से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर फरियादी जोहरलाल सादेश्वर के बोदाओं को टक्कर मारकर विकलांग कर/निरूपयोगी बनाकर रिष्टि कारित की।

02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी जोहरलाल सादेश्वर अपने भतीजे महेशलाल के साथ चौकी आकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 17.12.11 के सुबह 4:30 बजे वह अपनी बोदागाड़ी में बोदा जोतकर लकड़ी के लिये जंगल जा रहा था। उसकी बोदा गाड़ी में तुलसी मानेश्वर बैठा था। उसकी गाड़ी के पीछे महेश, सौखी और अधारी की

बैलगाड़ियों थी। उसकी बोदा गाड़ी जैसे ही मेन रोड पर दारा की दुकान के सामने पहुंची तभी मलाजखण्ड की तरफ में एक कंटेनर ट्रक का चालक कन्टेनर ट्रक को तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाते लाया और उसकी बोदा गाड़ी को सामने से ठोस मार दिया। जिससे उसके एक बोदा के सामने के दोनो पैर टूट गये और दूसरे के सिर पर चोट आयी है। फिर कन्टेनर ट्रक के चालन ने गाड़ी रिवर्स किया और फिर सालेटेकरी की तरफ चला गया। उसका बोदा जिसके पैर टूट गये है उसकी किमत 20 हजार रुपये होगी। घटना उसकी पीछे की बैलगाड़ी वाले सभी ने देखा है, रिपोर्ट पर कार्यवाही की जावें। विवेचना में आरोपी सदर पर अपराध धारा का सिद्ध पाये जाने से गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण जमानतीय होने से मुचलका पर रिहा किया गया है। विवेचना पूर्ण होने से आरोप के विरुद्ध अभियोग पत्र क्रमांक 106/11 दिनांक 31.12.11 को तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा— 279, 429 (काउन्ट्स02) के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्त ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न है:-

1. क्या आरोपी ने घटना दिनांक 17.12.2011 को प्रातः करीब 04:30 बजे ग्राम कचनारी मेन रोड दारा की दुकान के सामने पुलिस चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन कंटेनर क्रमांक सी. जी.04जे9959 को तेजी व लापरवाही से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी

जोहरलाल सादेश्वर के बोदाओं को वाहन कंटेनर क्रमांक सी.जी.04जे9959 से टक्कर मारकर विकलांग कर/निरूपयोगी बनाकर रिष्टि कारित की ?

—: विवेचना एवं निष्कर्ष :—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02

सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए दोनों विचारणीय प्रश्न का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

05— साक्षी दारासिंह अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपी तथा प्रार्थी को नहीं जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 17.12.11 को सुबह साढ़े चार बजे की है, उसी समय बोदा गाड़ी को कंटेनर ने ठोस मारा था, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने कंटेनर गाड़ी का नंबर सी.जी.04जे.9959 लिखा देखा था, कंटेनर के चालक ने तेज व लापरवाहीपूर्वक उतावलेपन से वाहन चलाया था, जिस कारण एक्सीडेंट हो गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि एक्सीडेंट में बोदा के पैर टूट गये थे और दूसरे बोदा के सिर पर चोटें आयी थी, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि बोदा गांव के जोहर का था। साक्षी के अनुसार वह नहीं बता सकता कि बोदा किसका था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उक्त घटना घटित होते हुए उसने नहीं देखा था। उसने अपने परीक्षण में घटना एवं घटना व बोदे के चोट के बारे में जो कथन किया है वह उसे घटना दिनांक के बाद मिली जानकारी के आधार पर किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने प्रडी-01 के अ से अ भाग के कथन पुलिस को नहीं बताया है।

06— साक्षी जोहरलाल अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग तीन चार वर्ष पूर्व सुबह चार बजे के आसपास कचनारी बाजार चौक की है। वह बैल लेकर जंगल

की तरफ जा रहा था, तभी मलाजखंड तरफ से आ रहे कंटेनर ने उसकी बोदा गाड़ी को सामने से टक्कर मार दिया था, जिससे उसके बोदा के सामने के दोनों पैर टूट गये और दूसरे बोदे के सिर पर चोट आयी थी। जिस बोदा के पैर टूटे थे उसकी मृत्यु हो गयी थी। घटना के बाद कंटेनर चालक सालेटेकरी की तरफ भाग गया। बोदा की कीमत बीस हजार रुपये थी। घटना को तुलसी और सौखी ने देखा था।

07— साक्षी जोहरलाल अ.सा.02 के अनुसार उसने घटना की रिपोर्ट सालेटेकरी पुलिस चौकी में की थी, जो प्रपी-01 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके बताये अनुसार घटना का मौका-नक्शा प्रपी-02 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटना कंटेनर चालक की गलती से हुई थी, क्योंकि उसने कंटेनर को तेज गति से चलाकर उसके बोदा को टक्कर मारी थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

08— साक्षी जोहरलाल अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना सुबह चार बजे की है, घटना जिस मार्ग पर घटित हुई थी वह मलाजखण्ड रायपुर राजमार्ग है, वह गांव के अंदर की सड़क से अपनी बैलगाड़ी लेकर मुख्य मार्ग को पार कर रहा था, घटना के समय अंधेरा था, उसने कंटेनर वाहन का नम्बर भी नहीं देखा था वाहन कौन चला रहा था उसे भी नहीं देखा था, उक्त मुख्य मार्ग पर जिस गति से अन्य वाहन चलते हैं उसी गति से कंटेनर भी चल रहा था।

09— साक्षी जोहरलाल अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उक्त कंटेनर ट्रक ने उसकी बैलगाड़ी को टक्कर नहीं मारी थी, उक्त कंटेनर की टक्कर से उसकी बैलगाड़ी के एक बोदे

के दोनों पैर टूट गये थे व दूसरे बोदे के सिर पर चोट आयी थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके दोनों बोदे का डॉक्टर परीक्षण डॉक्टर के द्वारा किया गया था, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उक्त कंटेनर चालक की लापरवाही से उक्त घटना घटित हुई थी, उसके दोनों आहत बोदे को किसी अन्य घटना में चोट आयी थी उसने ट्रक चालक के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी थी।

10- साक्षी जोहरलाल अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उक्त कंटेनर किसका था इसकी भी उसे जानकारी नहीं है। उसने अपने पुलिस कथन में कंटेनर मालिक का नाम नहीं बताया था यदि उसके पुलिस कथन प्र.डी02 में उसका उल्लेख हो तो वह गलत है। साक्षी ने अस्वीकार किया है कि उसके बोदों का नुकसान हुआ था, इसलिए आरोपी के विरुद्ध झूठे कथन कर रहा है, किन्तु यह स्वीकार किया है कि जिस घटना में उसके बोदों को चोट आयी थी उस घटना के एक दो दिन बाद ही डॉक्टर के द्वारा उसके बोदों का ईलाज किया गया था।

11- साक्षी तुलसी अ.सा.03 ने कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना काफी पुरानी है। घटना प्रातः तीन-चार बजे ग्राम कचनारी बाजार चौक की है। वह जोहर के साथ लकड़ी के लिए जंगल जोहर की बैलगाड़ी से जा रहा था, तभी दमोह तरफ से आ रहे ट्रक ने बोदा गाड़ी को टक्कर मारकर सालेटेकरी के तरफ भाग गया था। घटना में एक बोदा के सामने के दोनों पैर टूट गये और बैलगाड़ी को भी नुकसान हुआ था। घटना में लगभग बीस हजार रुपये की नुकसानी हुई थी। उसे आज ध्यान नहीं है कि पुलिस ने उससे पूछताछ की थी या नहीं। घटना कंटेनर चालक की गलती से हुई थी, क्योंकि उनकी बैलगाड़ी सड़क पार कर चुकी थी, फिर भी गाड़ी वाले ने सामने से टक्कर मार दी थी।

12- साक्षी तुलसी अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना रात्रि तीन-चार बजे करीब की है, घटना के समय काफी अंधेरा था, उक्त घटना किस वाहन से हुई थी, उक्त वाहन को कौन चला रहा था, यह वह नहीं देख पाया था, इसलिए उक्त घटना कैसे घटित हुई वह नहीं बता सकता, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उक्त घटना में जोहर के दोनों बोदों को कोई चोट नहीं आयी थी, जोहर और वह एक ही गांव के हैं, इसलिए जोहर के कहने से आरोपी के विरुद्ध झूठे कथन कर रहा है, उक्त घटना में वाहन चालक की कोई लापरवाही नहीं थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उक्त घटना जिस वाहन से घटित हुई थी, उक्त वाहन का क्रमांक व ड्रायवर को उसने नहीं देखा था।

13- साक्षी सौखीलाल अ.सा.04 ने कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब दो-तीन साल पूर्व सुबह चार बजे ग्राम कचनारी के पास की है। वह लोग जोहरलाल की बोदा गाड़ी में लकड़ी के लिए जंगल तरफ जा रहे थे, तभी मलाजखण्ड तरफ से आ रहे टेंकर ने तेज गति से आकर बोदा गाड़ी को टक्कर मार दिया था। टक्कर लगने से एक बोदा के पैर टूट गये थे। घटना टेंकर चालक की गलती से हुई थी, क्योंकि उसने तेज गति से आकर टक्कर मारा था और टक्कर मारकर सालेटेकरी तरफ भाग गया था।

14- साक्षी सौखीलाल अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि बैलगाड़ी दो बोदा वाली थी घटना में दूसरे बोदे को हल्की चोट आयी थी। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि एक्सीडेंट की कोई घटना ही नहीं हुई थी, उक्त दिनांक को दोनों बोदा को किसी तरफ की कोई चोट नहीं

आयी थी, किन्तु इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना समय सुबह चार बजे अंधेरा था, उसने एक्सीडेंट किस गाड़ी से हुआ था वह नहीं देख पाया था, उक्त गाड़ी वाहन को कौन चला रहा था उसने नहीं देखा था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि जोहर उसके ही गांव का निवासी है, इसलिए वह जोहर के कहने पर वाहन चालक के खिलाफ झूठी गवाही दे रहा है।

15— साक्षी महेश अ.सा.05 ने कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना करीब तीन-चार साल पूर्व ग्राम कचनारी चौक में सुबह तीन-चार बजे की है। घटना के समय वह लोग अपनी बोदा गाड़ी से जंगल तरफ जा रहे थे। घटना के समय बिरसा तरफ से आ रहे कंटेनर ने जोहर की बोदा गाड़ी को टक्कर मार दिया था, जिसमें उसके दोनों बोदों को चोट आयी थी, जिसमें से एक बोदा बाद में खत्म हो गया था। वह यह नहीं बता सकता कि घटना किसकी गलती से हुई। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना के समय कंटेनर के ड्रायवर ने तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर बोदा गाड़ी को टक्कर मारा था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय काफी अंधेरा था, उसने घटना होते हुए नहीं देखा था, इसलिए नहीं बता सकता कि घटना किसकी गलती से हुई थी, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसने घटना के समय कंटेनर को नहीं देखा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को कंटेनर ड्रायवर द्वारा तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर टक्कर मारने वाली बात नहीं बतायी थी।

16— साक्षी अधारी अ.सा.09 ने कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना करीब 06-07 साल पहले की है। उसे घटना के बारे में

जानकारी नहीं है। उसे पता नहीं बोदा कैसा गिरा था, किन्तु वह गाड़ी में बोदा भरने लगा था। घटनास्थल पर बहुत सारे लोग उपस्थित थे।

17- साक्षी अधारी अ.सा.09 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि वह दिनांक 17.12.11 को बैलगाड़ी जोतकर जंगल जा रहा था और उसकी बैलगाड़ी जोहर की बोदा गाड़ी से पीछे थी, तभी करीब 4:30 बजे दिन की बात है कि जैसे ही वह लोग कचनारी चौक मेन रोड पर पहुंचे तभी मलाजखण्ड तरफ से आ रहे कंटेनर के ड्रायवर ने लापरवाहीपूर्वक तेज गति से कंटेनर को चलाकर जोहर के बोदा गाड़ी को ठोस मार दिया, कंटेनर का ड्रायवर कंटेनर को लेकर सालेटेकरी तरफ चला गया था, ठोस लगने से बोदे को चोट लगने से सामने के दोनों पैर टूट गये थे और बोदे को सिर पर चोट लगी थी, पुलिस ने उससे पूछताछ कर प्रपी-10 का ए से ए भाग का कथन दिनांक 17.12.11.....यही उसका कथन है दिया था। साक्षी ने प्रपी-10 का कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि वह आरोपी को बचाने के लिये न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा है।

18- साक्षी रविन्द्र यादव अ.सा.10 ने कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। उसके सामने कोई जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही नहीं हुई थी, परंतु जप्ती पत्रक प्रपी-06 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा गिरफ्तारी पत्रक प्रपी-07 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि पुलिस चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा द्वारा दिनांक 28.11.12 को 12:00 बजे आरोपी बिपिन के द्वारा पेश करने पर ट्रक कंटेनर क्रमांक सी.जी. 04जे.9959 एवं उक्त वाहन की आर.सी. की छायाप्रति, रिलायंस कंपनी के

इन्श्यूरेंस की छायाप्रति जप्त कर प्रपी-06 की कार्यवाही की थी, पुलिस द्वारा दिनांक 28.11.12 को 12:20 बजे उसके सामने आरोपी बिपिनसिंह राजपूत को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी-07 की कार्यवाही की थी तथा वह आरोपी को बचाने के लिये न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा है।

19— साक्षी शशिगिरी अ.सा.06 ने कथन किया है कि उसने थाना बिरसा के अपराध क्रमांक 106/11 में जप्तशुदा कंटेनर ट्रक क्रमांक सी.जी.04जे9959 का परीक्षण किया था। परीक्षण पर उसने वाहन के स्टेरिंग, क्लच, ब्रेक, लाईट, इंडीकेटर, टायर, गियर, एक्सीलेटर सही अवस्था में पाये थे। उसकी रिपोर्ट प्रपी-03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसे वाहन परीक्षण का कोई प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं है और ना ही उसने उक्त संबंध में कहीं से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने सालेटेकरी चौकी में वाहन का कोई परीक्षण नहीं किया था और पुलिस वालों के कहने पर रिपोर्ट तैयार किया था, उसने पुलिसवालों द्वारा तैयार रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किया है। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसे सालेटेकरी चौकी में अक्सर बुलाया जाता है और वह पेशे से ड्राईवर है।

20— साक्षी डॉ० अरुण नेमा अ.सा.07 ने कहा है कि वह दिनांक 28.12.2011 को पशु चिकित्सालय बिरसा में पशु चिकित्सक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बिरसा द्वारा दो बодों को परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसका उसके द्वारा परीक्षण किया गया था, जिसमें से एक बोदा के दोनों अगले पैरों में मेटाकार्पल अस्थि फ्रैक्चर होना पाया था तथा दाहिने कंधे के नीचे चोट थी। उक्त बोदा घायल अवस्था में था। यदि उचित उपचार किया जाता तो वह कृषि कार्य हेतु उपयोगी हो सकता था अन्यथा कृषि कार्य हेतु अनुपयोगी रहता।

दूसरा बोदा ठीक अवस्था में था तथा उसके शरीर पर किसी प्रकार के चोट इत्यादि के निशान नहीं पाये गये एवं कृषि कार्य हेतु उसे उपयुक्त पाया गया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट क्रमशः प्र.पी.04 एवं प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं।

21— साक्षी डॉ० अरुण नेमा अ.सा.07 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा दोनों बोदों की जांच दिनांक 28.12.2011 को की गई थी, प्र.पी.04 की चोट 3-4 दिन के अंदर की अवधि की चोट थी, उक्त चोट उसके परीक्षण दिनांक के चार दिन पूर्व से पहले की नहीं थी, उक्त बोदे का पर्याप्त उपचार किये जाने पर उक्त बोदा कृषि कार्य हेतु उपयोगी हो जाता, प्र.पी.05 की रिपोर्ट दूसरे बोदे की है, जिसकी जांच में उसने किसी भी प्रकार की चोट या दुर्घटना के निशान या चिन्ह नहीं पाये थे, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि दोनों बोदे की जांच किये जाने हेतु उसे पुलिस चौकी सालेटेकरी से कोई निर्देश या प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था तथा इस प्रकरण के विवेचना अधिकारी के कहने पर उसने झूठी परीक्षण रिपोर्ट तैयार किया है।

22— साक्षी सुरेश सा.08 ने कहा है कि वह दिनांक 17.12.2011 को पुलिस चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा में चौकी प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी जोहरलाल सादेश्वर के द्वारा अज्ञात कंटेनर ट्रक चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 0/11 अंतर्गत धारा-279, 429 भा.द.वि. तथा मोटर यान अधिनियम की धारा-184 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 लेखबद्ध की थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करने के पश्चात असल कायमी हेतु आरक्षक जितेन्द्र पटले क्रमांक 1093 को थाना बिरसा भिजवाया था। दिनांक 18.12.2011 को उसके द्वारा घटनास्थल जाकर फरियादी जोहरलाल की निशादेही पर घटनास्थल का मौका-नक्शा

प्र.पी.02 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा फरियादी जोहरलाल, गवाह महेश, तुलसी मानेश्वर तथा दिनांक 23.12.2011 को साक्षी सौकी खेरवार, अधारी मरार, दारा तिवारी तथा दिनांक 30.12.2011 को वाहन स्वामी कपिलदेव सिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। दिनांक 28.12.2011 को आहत मवेशी का डॉक्टरी परीक्षण वेटनरी डॉक्टर को तहरीर दी थी।

23— साक्षी सुरेश सा.08 के अनुसार दिनांक 28.12.2011 को आरोपी विपिन सिंह से प्रकरण में ट्रक कंटेनर क्रमांक सी.जी.04जे.9959 मय दस्तावेज के गवाह रविन्द्र यादव तथा आरक्षक राजकुमार ठाकरे के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.06 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा जप्तशुदा वाहन का परीक्षण परीक्षणकर्ता शशी गिरी से करवाया गया था। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी विपिन को उक्त गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.07 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर आरोपी विपिन के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 23.12.2011 को गवाह महेश तथा दारासिंह के समक्ष आहत मवेशी का नुकसानी पंचनामा तैयार किया था, जिसमें 20 हजार रुपये की नुकसानी दर्शित की गई थी। उक्त नुकसानी पंचनामा प्र.पी.08 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। संपूर्ण विवेचना उपरांत थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

24— साक्षी सुरेश सा.08 के अनुसार प्रकरण में असल कायमी प्रधान आरक्षक लखन भिमटे द्वारा की गई थी, जिनके हस्ताक्षर से साथ कार्य करने के कारण वह परिचित है। प्रधान आरक्षक लखन भिमटे द्वारा दिनांक 17.12.2011 को थाना बिरसा में आरक्षक जितेन्द्र पटले द्वारा लाकर पेश करने पर असल

कायमी कर अपराध क्रमांक 106/11 की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा-279, 429 भा.द.वि. तथा धारा-184 मो.व्ही. एक्ट लेखबद्ध की थी, जो प्र.पी.09 है, जिसके ए से ए भाग पर प्रधान आरक्षक लखन भिमटे के हस्ताक्षर हैं।

25— साक्षी सुरेश सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्रार्थी के साथ मिलकर आरोपी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट कायम की गई थी, उसके द्वारा आरोपी को झूठा फंसाने के लिए प्र.पी.01 अपने मन से झूठी लेख की गई थी, प्र.पी.02 उसके द्वारा थाने में तैयार किया गया था एवं उस पर गवाह के हस्ताक्षर भी थाने में करवा लिये थे, उसके द्वारा फरियादी जोहरलाल, गवाह महेश, तुलसी मानेश्वर तथा दिनांक 23.12.2011 को साक्षी सौकी खेरवार, अधारी मरार, दारा तिवारी तथा दिनांक 30.12.2011 को वाहन स्वामी कपिलदेव सिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध न कर अपने मन से लेख किया था।

26— साक्षी सुरेश सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा दिनांक 17.12.2011 को अपराध पंजीबद्ध किया गया था, उसके द्वारा प्रकरण में चोटग्रस्त बोदा मवेशी की डॉक्टरी परीक्षण हेतु दिनांक 28.12.2011 को प्रतिवेदन दिया गया था एवं उक्त प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 30.12.2011 को आहत बोदा मवेशी की डॉक्टरी जांच हुई थी। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि दिनांक 17.12.2011 को प्रार्थी के बोदा मवेशी को कोई चोट नहीं थी, इसलिये उसके द्वारा दिनांक 17.12.2011 को बोदा मवेशी के डॉक्टरी परीक्षण हेतु प्रतिवेदन नहीं दिया गया था, किन्तु इन सुझावों को स्वीकार किया है कि दिनांक 17.12.2011 को रिपोर्ट कायमी मात्र प्रार्थी के मौखिक बताये अनुसार उसके बोदा मवेशी को चोट आने के संबंध में लेख की थी उसने उस समय प्रार्थी के बोदा मवेशी को नहीं देखा था और ना

ही बोदा मवेशी की चोट के संबंध में उस समय उसे कोई स्पष्ट जानकारी थी, प्रकरण में जो कंटेनर जप्त किया गया था उसका वाहन परीक्षण कराया गया था एवं उक्त वाहन परीक्षण प्र.पी.03 में कंटेनर ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने या टकराने से संबंधित कोई भी परीक्षण अंकित नहीं है, लखन भिमटे प्रधान आरक्षक के द्वारा उसकी रिपोर्ट के आधार पर असल कायमी की गई थी।

27— साक्षी सुरेश सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्रार्थी के साथ मिलकर नुकसानी पंचनामा प्र.पी.08 झूठा तैयार किया गया है, आरोपी को झूठा फंसाने के लिये न्यायालय में झूठे कथन कर रहा है, किन्तु स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को प्रार्थी सहित अन्य किसी भी व्यक्ति को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उक्त दुर्घटना किस वाहन कंटेनर के द्वारा की गई है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि मात्र प्रार्थी को नुकसानी दिलाने के लिये उसने आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण दर्ज किया था।

28— उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना के समय अभियुक्त द्वारा चालित वाहन से प्रश्नगत दुर्घटना हुई थी। विवेचक साक्षी सुरेश विजयवार अ.सा.08 की साक्ष्य विवेचना के संबंध में अखण्डनीय है, जिस पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। यद्यपि घटनास्थल के किसी भी साक्षी ने अभियुक्त को वाहन चलाते हुए नहीं देखा है, तथापि अभियुक्त ने कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की है कि घटना के समय वह अन्यत्र था अथवा वाहन नहीं चला रहा था। अभियुक्त का पुलिस से कोई पूर्व वैमनस्य भी दर्शित नहीं है।

29— अब प्रश्न अभियुक्त के उतावलेपन तथा उपेक्षा का है। आपराधिक उतावलापन ऐसे बोध के साथ किसी कार्य को करने के कहते हैं कि उसके रिष्टिपूर्ण एवं अवैध परिणाम हो सकते हैं। इसी प्रकार आपराधिक उपेक्षा इस

बोध के बिना कोई कार्य करने में है कि उसका अवैध और रिष्टि पूर्ण प्रभाव होगा, परंतु ऐसी परिस्थितियों में जो कि यह दर्शित करती है कि कर्ता ने उस सावधानी को नहीं बरता है, जो कि उसकी ओर से अपेक्षित थी और यदि उसने वह सावधानी बरती होती तो, जो उसे बोध होता। प्रकरण में यद्यपि चिकित्सा साक्षी डॉ० अरुण नेमा अ.सा.07 ने अपने प्रतिपरीक्षण में आहत बोदा की रिपोर्ट प्र.पी.04 में चोट तीन से चार दिन के भीतर की होना व्यक्त किया, तथापि नुकसानी पंचनामा, प्र.पी.08 तथा साक्षियों की साक्ष्य से परिवादी के बोदा को रिष्टि होना दर्शित है। अभियुक्त द्वारा लोकमार्ग पर सड़क पार कर रही बोदा गाड़ी को टक्कर मारकर जिस प्रकार दुर्घटना कारित की गई है, उससे उसकी उपेक्षा तथा उतावलेपन का निष्कर्ष सहज ही दिया जा सकता है।

30— जहाँ तक भारतीय दण्ड संहिता की धारा-429 का प्रश्न है। अभियुक्त की दोषसिद्धि उक्त धारा के अधीन नहीं की जा सकती, क्योंकि तत्संबंध में आपराधिक मनः स्थिति का पूर्णतः अभाव है। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत पवन कुमार शर्मा विरुद्ध उत्तरप्रदेश राज्य 1999सी.आर.एल.जे. 369(इलाहाबाद) अवलोकनीय है।

31— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना से अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि घटना के समय अभियुक्त द्वारा अपने वाहन कंटेनर क्रमांक सी.जी.04.जे. 9959 को लोकमार्ग पर उतावलेपन एवं उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया। फलतः अभियुक्त विपिन सिंह को धारा-429 भा.द.वि. के अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

32— अभियुक्त के विरुद्ध किसी पूर्वतन दोषसिद्धि का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुये उसे अपराधी परवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधानों का लाभ देना अथवा उसके विरुद्ध नर्म रुख लिया जाना उचित नहीं होगा। फलतः उसे एक

उचित दण्ड देने की आवश्यकता है।

33— अतः अभियुक्त विपिनसिंह को धारा-279 भा.दं०सं० में दोषी पाकर न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1,000/—(एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे।

34— अर्थदण्ड की संपूर्ण राशि परिवादी जोहरलाल सादेश्वर को धारा-357(1)(बी) दं.प्र.सं. के अंतर्गत अपील अवधि पश्चात एवं अपील ना होने की दशा में अदा की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

35— अभियुक्त प्रकरण में अभिरक्षा में नहीं रहा हैं, उक्त संबंध में धारा-428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

36— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

37— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन कंटेनर क्रमांक सी.जी.04.जे. 9959 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

38— अभियुक्त को निर्णय की प्रतिलिपि धारा 363(1) दं.प्र.सं. के तहत निशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही /—
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट (म.प्र.)

सही /—
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट (म.प्र.)